भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1957
गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

मुंबई विमानपत्तन पर सुरक्षा प्रोटोकॉल

1957. श्री मोहम्मद हनीफा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई के सांताक्रूज घरेलू टर्मिनल-1 के समीप स्थित जीवीके-ताज होटल का उपयोग अक्सर विवाह समारोह, फिल्म शूटिंग, प्रदर्शनियों, मेलों और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक समारोहों जैसे गैर-यात्री कार्यकलापों के लिए किया जाता है, जिससे अग्नि निकास, आपातकालीन पहुंच और यात्री आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है तथा इसके परिणामस्वरूप इस संवेदनशील विमानपत्तन क्षेत्र में सुरक्षा प्रोटोकॉल कमजोर होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एएआई-जीवीके अनुबंध के अंतर्गत शामिल न होने वाले अनधिकृत तृतीय पक्ष/सहोदरी कंपनियों ने होटल परिसर के कुछ हिस्सों को पट्टे पर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को राजस्व की भारी हानि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एएआई और एमआईएएल (जीवीके) के बीच संविदात्मक समझौतों की समीक्षा की प्रगति और निष्कर्ष क्या हैं, विशेषकर सीएजी और पीएसी रिपोर्टों के प्रकाश में जिनमें कथित अवैध अनुबंधों और उल्लंघनों पर प्रकाश डाला गया है; और

(घ) इन विमानपत्तन से जुड़ी हुई सुविधाओं की सुरक्षा और परिचालन निष्ठा को यथावत रखने के लिए नियोजित लेखापरीक्षा, जांच और प्रवर्तन उपायों का ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के बीच हस्ताक्षरित प्रचालन, प्रबंधन और विकास समझौते (ओएमडीए) के अनुसार, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसएमआईए), मुंबई का प्रचालन और विकास एमआईएएल द्वारा किया जा रहा है।

ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार, एमआईएएल को हवाईअड्डे की साइट में या उप-पट्टेदारों या उप-ठेकेदारों के माध्यम से होटल स्थापित करने और प्रचालित करने की अनुमति है। एमआईएएल ने सूचित किया है कि ओएमडीए प्रावधानों के अनुसार, इसने ग्रीन वुड्स पैलेस एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को टर्मिनल 1 सी में होटल भवन के निर्माण और प्रचालन के लिए अनुबंध प्रदान किया है।

हवाईअड्डा प्रचालक ने आगे सूचित किया है कि होटल के प्रचालन के रूप में, इसके परिसर का उपयोग होटल प्रचालन के पारंपरिक सहायक उपयोगों के रूप में अपने परिसर में इवेंट/गतिविधियों की मेजबानी के लिए भी किया जा रहा है। हर समय, सभी ओएमडीए और लागू कानूनों के तहत आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल (अग्नि अनुपालन सहित) का अनुपालन सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय में किया जाता है।

(ख): एमआईएएल को पट्टेदार के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार राजस्व शेयर/न्यूनतम मासिक गारंटी प्राप्त होती है। इसके अलावा, एएआई को ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार एमआईएएल से लागू राजस्व शेयर प्राप्त होता है।

(ग) और (घ): छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने वर्ष 2014 की 15वीं रिपोर्ट तैयार की। सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा जांच हेतु इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया था, जिसमें नागर विमानन मंत्रालय ने ताज होटल से संबंधित मामले सहित सीएंडएजी द्वारा चिह्नित सभी मुद्दों पर समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुतियाँ उपलब्ध कराई हैं।

नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) की प्रस्तुतियों के आधार पर, समिति ने अपना छियालीसवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) तैयार किया और भविष्य में ऐसी परियोजनाओं के लिए सिफारिशें कीं। इसके परिणामस्वरूप, समिति ने अपनी 46वीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी 127वीं रिपोर्ट तैयार की और इसे पटल पर रखा गया, जिसमें नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के आधार पर समिति द्वारा टर्मिनल 1सी, मुंबई हवाईअड्डे पर ताज होटल से संबंधित आगे किसी भी प्रकार का अवलोकन नहीं किया गया।

*****